पीएम श्री
केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-01, नीमच
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एवं स्वायत्त निकाय
PM SHRI
KENDRIYA VIDYALAYA NO.1, NEEMUCH
AN AUTONOMOUS BODY UNDER MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF INDIA
दूरदर्शन टावर के सामने, किला रोड, नीमच (म.प्र.) 458441/Opp. Doordarshan Tower, Kila Road, Neemuch - 458441(M.P.)
दूरभाष/ Phone: (07423)-220233
ई-मेल/ E-Mail: ppl.neemuchcrpf@kvs.gov.in वेबसाइट /Website: https://crpfneemuch.kvs.ac.in
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KV Code 1127 CBSE Affiliation No: 1000009 UDISE Code: 23180720605 CBSE School Code: 54111

फा. क्र. 1-34/के.वि.क्र.1/नीमच/ 2023-24/388-389. दिनांक: 01.02.2024

निविदा सूचना

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 सीआरपीएफ नीमच (म.प्र.) के परिसर में कैन्टीन-खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों से अंतिम तिथि दिनांक 14.02.2024 तक निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा दस्तावेज एवं अन्य जानकारी विद्यालय की वेबसाइट https://crpfneemuch.kvs.ac.in से प्राप्त की जा सकती है.

01.02.2024

प्राचार्य/Principal प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय क्र. 1 / Kendriya Vidyalaya No. 1
नीमच / Neemuch

पीएम श्री
केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-01, नीमच
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एवं स्वायत्त निकाय
PM SHRI
KENDRIYA VIDYALAYA NO.1, NEEMUCH
AN AUTONOMOUS BODY UNDER MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF INDIA
दूरदर्शन टावर के सामने, किला रोड, नीमच (म.प्र.) 458441/Opp. Doordarshan Tower, Kila Road, Neemuch - 458441(M.P.)
दूरभाष/ Phone: (07423)-220233
ई-मेल/ E-Mail: ppl.neemuchcrpf@kvs.gov.in वेबसाइट /Website: https://crpfneemuch.kvs.ac.in
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KV Code 1127 CBSE Affiliation No: 1000009 UDISE Code: 23180720605 CBSE School Code: 54111

फा. क्र. /कि.वि.क्र.1/नीमच/ 2023-24 दिनांक: 01.02.2024

निविदा सूचना

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच -458441 (म.प्र.), केविसं भोपाल संभाग के केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है जो कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत निकाय है। केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच विद्यालय परिसर में कैन्टीन-खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत फर्मों से मुहरबंद प्रतियोगी निविदाएं आमंत्रित करता है।

1. विद्यालय में लगभग 1800 विद्यार्थी तथा 80 शिक्षक/कर्मचारी कार्यरत हैं इसके अलावा वर्ष भर भी अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते है, जिनके लिए कैन्टीन-खानपान सेवाओं की आवश्यकता है।

2. कैन्टीन का अनुबंध शुरुआत में अनुबंध प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगा.

3. निविदा देने की इच्छुक फर्मों को अपनी निविदा मुहरबंद कवर / लिफाफे में डाक/कोरियर/स्वयं के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में जमा करनी होंगी। किसी भी अन्य माध्यम द्वारा भेजे गए निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। फर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पात्रता मानदंडों आदि के समर्थन में सभी दस्तावेज संलग्न किए गए हैं और निविदा दस्तावेजों के साथ भेजे गए हैं।

4. विनिर्देशों सहित निविदा के लिए इस निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेज पूरी पेशकश के रूप में किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पात्र हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि निविदा स्वीकृति पत्र एक लिखित अनुबंध है और निविदा के सभी नियमों और शर्तों को समझ और स्वीकार किया जाना चाहिए हस्ताक्षरित और जमा होना चाहिए।

5. रु 5000 / - (केवल पाँच हजार रूपए मात्र) की बयाना राशि जमा (ईएमडी) केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच को "VIDYALAYA VIKAS NIDHI (VVN) ACCOUNT NIMACH" के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट/चेक के रूप में देय होगी. निविदा के अंतिम निर्धारण के बाद असफल निविदाओं / बोली लगाने वालों को बयाना धन वापस किया जाएगा। सफल बोलीदाता / ठेकेदार की बयाना राशि को धरोहर राशि के रूप में जमा रख लिया जाएगा जिसे निविदा अवधि समाप्ति के बाद बिना ब्याज लौटा दिया जाएगा.

6. इच्छुक पार्टियां किसी भी कार्य दिवस पर विद्यालय परिसर तथा कैन्टीन के स्थान का निरीक्षण कर सकते हैं। वे विद्यालय के टेलीफोन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं तथा कार्य की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

7. निविदा फ़ॉर्म में सभी प्रविष्टियां सुपाठ्य और स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए, यदि प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध स्थान अपर्याप्त है तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अलग पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। निविदा पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / कटिंग / सुधार नहीं किया जाना चाहिए।

8. सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें संक्षिप्त रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

9. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 14.02.2024 दोपहर 2.00 बजे तक है. निविदा दिनांक 15.02.2024 को प्रातः 10.00 बजे निर्धारित तिथि और समय पर खोली जाएगीं।

10. निविदा का मूल्यांकन प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

11. निविदा खोलने के बाद किसी भी फर्म को अपनी निविदा वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि निविदाओं को खोलने के बाद कोई फर्म वापस लेने का इरादा रखता है तो उसके ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा।

12. प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच किसी भी समय बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है या कोई भी कारण बताए बिना निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी नियम और शर्तों को हटाई अथवा जोडी जा सकती है।

13. निविदा दस्तावेज वेबसाइट https://crpfneemuch.kvs.ac.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं और रु 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट / चेक - निविदा शुल्क के रूप में " VIDYALAYA VIKAS NIDHI (VVN) ACCOUNT NIMACH" के पक्ष में निविदा के साथ जमा किया जाना आवश्यक है।

(प्राचार्य)

निविदा सूचना एक नजर में

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच -458441 (म.प्र.) अपने परिसर में तथा अन्य विशेष अवसरों पर कैन्टीन-खानपान सेवाएं प्रदान करने हेतु पात्र फर्मों / केटरर्स से डाक/कोरियर/स्वयं के माध्यम से निविदा आमंत्रित करता है.

महत्वपूर्ण तिथियां

निविदा दस्तावेज प्रकाशित करने की तिथि	दिनांक 01.02.2024
विद्यालय में निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक 14.02.2024 दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 15.02.2024 प्रातः 10.00 बजे

अन्य अतिरिक्त जानकारी एवं निविदा का पूर्ण संदर्भ विद्यालय की वेबसाइट https://crpfneemuch.kvs.ac.in से प्राप्त किया जा सकता हैं या व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्य दिवस पर इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

01.02.2024

प्राचार्य/Principal (प्राचार्य)

केन्द्रीय विद्यालय क्र. 1 / Kendriya Vidyalaya No. 1

नीमच / Neemuch

निविदादाताओं के लिए सामान्य जानकारी, नियम एवं शर्तें

1. योग्यता शर्तें

खानपान तथा कैन्टीन संचालन के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले तथा वैध खाद्य सुरक्षा और मानक लाइसेंस धारी व्यक्ति या फर्म या कैटरर जिनके पास निम्न दस्तावेज हों(जो भी लागू हो):

1. दुकान/ प्रतिष्ठान प्रमाणपत्र।

2. केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य कोई दस्तावेजी प्रमाण।

3 . टिन नंबर/पैन कार्ड की कॉपी

4 . वैध खाद्य सुरक्षा और मानक लाइसेंस

निविदादाता के हस्ताक्षरयुक्त उक्त दस्तावेजों की छायाप्रति प्रपत्र संलग्न करें

2. बोलियां जमा करना:

निविदा देने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म को निविदा मुहरबंद कवर / लिफाफे में डाक/कोरियर/स्वयं के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में जमा करना होगा। किसी भी अन्य माध्यम द्वारा भेजी गई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। पात्रता मानदंडों आदि के समर्थन में सभी दस्तावेज भी संलग्न किए जायें और निविदा दस्तावेजों के साथ भेजे जायें। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित तारीख और समय की समाप्ति के बाद कोई निविदा दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निविदा में सभी अनुलग्नक के दिये गए प्रारूप के अनुसार प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ जानकारियां होनी चाहिए.

निविदा के सभी पृष्ठ क्रमांकित किए जाएंगे, अनुक्रमित किए जाएंगे और दस्तावेज़ को सभी उद्देश्यों के लिए अंतिम रूप में उपयोग किया जाएगा।

ईएमडी के रूप में जमा 5000 / - रूपए का डिमांड ड्राफ्ट/चेक (वापसी योग्य) लगाना होगा.

4. दरें:

प्रारूप के अनुसार निविदा की दरें रुपये में लिखी जायें। दर में सभी कर शामिल होंगे और अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी बदलाव / संशोधन के अधीन नहीं होंगे। मेनू में बदलाव (जोडना/ घटाना) और नई वस्तुओं की दरें प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच एवं ठेकेदार की परस्पर सहमति से तय होगी। ठेके की परिचालन अवधि में दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

5. बयाना राशि जमा

I) " VIDYALAYA VIKAS NIDHI (VVN) ACCOUNT NIMACH" के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/चेक के रूप में ईएमडी राशि स्वीकार की जाएगी। ईएमडी के बिना बोली को रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच द्वारा ईएमडी जब्त की जा सकती है यदि बोलीदाता बोली की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है या सफल बोलीदाता इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हैं;

(Iii) सफल बोलीदाता को कार्य पत्र जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अन्य बोलीदाताओं को उनकी ईएमडी वापस कर दिया जाएगा और उस पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

6. कार्य निष्पादन प्रतिभूति

सफल बोली लगाने वाले को रुपये 5,000/ की राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा। कार्य निष्पादन प्रतिभूति केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के बैंक खाते " VIDYALAYA VIKAS NIDHI (VVN) ACCOUNT NIMACH" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। निविदा के अन्तर्गत अनुबंध की अवधि के दौरान दायित्वों के पूरा न करने या शर्तों का अनुपालन न करने पर उपरोक्त कार्य निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा।

7. अनुबंध की अवधि

विद्यालय कैंटीन की निविदा कार्यादेश जारी होने से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी जिसका एक और वर्ष तक अथवा उसके भाग के लिए नवीनीकरण कैन्टीन चालक के कार्य निष्पादन तथा दोनों पक्षों (कैन्टीन चालक एवं प्राचार्य) की सहमति पर निर्भर करेगा. यह किसी भी पक्ष की और से एक महीना पहले नोटिस देकर समाप्त भी किया जा सकता है.

8. बोली का स्वीकृति / समापन

प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच को किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और किसी भी समय बिना किसी कारण बताए अनुबंध के आदेश से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

9. मूल्यांकन

मूल्यांकन विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा दिए गए वित्तीय प्रस्ताव पर आधारित होगा जो प्रस्ताव में उद्धृत सभी दरों एवं अन्य योग्ताओं पर आधारित होगा।

यदि शब्दों और गिनती में कोई अंतर पाया जाता है तो शब्द में लिखी गयी राशि मान्य होगी। अप्रभावी बोली केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

हालांकि मूल्यांकन वित्तीय बोली में उद्धृत सबसे कम कुल राशि पर आधारित होगा और प्रस्ताव की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। हालांकि, यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच सबसे कम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उच्च बोलीदाता को काम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो आवश्यकता को संतुष्ट करता है।

10. अनुबंध का आदेश

i) कार्य आदेश का निर्गमन सफल बोलीदाता के साथ प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच को संविदा करने हेतु इच्छुक माना जाएगा।

ii) सफल बोलीदाता जारी आदेश के 07 दिनों के भीतर, कार्य निष्पादन प्रतिभूति और संविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर के साथ अपनी स्वीकृति देगा।

11. अनुबंध को हस्ताक्षरित करना

अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बोलीदाता को कार्यआदेश मिल जाएगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर न करने से प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच को अनुबंध रद्द करने का पर्याप्त आधार प्राप्त होगा और दूसरे बोलीदाता के पक्ष में कार्यआदेश देने का अधिकार होगा।

12. निविदा में छूट / संशोधन

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच, विद्यालय के समग्र हित में अनुबंध को अंतिम रूप देने के उद्देश्य के लिए आवश्यक होने पर, किसी भी स्तर पर निविदा शर्तों को छूट / संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विद्यालय को निविदा के नियमों और शर्तों को फिर से बदलने या संशोधित करने का अधिकार होगा। यह निम्नतम बोलीदाता के साथ दरों पर बातचीत करने के अधिकारों को भी सुरक्षित रखता है। कोई भी कारण बताए बिना, किसी भी या सभी वित्तीय बोलियों को पूर्ण या पूर्ण रूप से स्वीकार करने या न करने का अधिकार होगा चाहे वे या सबसे कम हो।

13. अनुबंध की समाप्ति, स्वामित्व की समाप्ति आदि।

I) प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच बिना कारण बताये किसी भी समय एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार रखता है। इस संबंध में प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच का निर्णय अंतिम और कैंटीन चालक पर बाध्यकारी होगा। कैंटीन चालक यदि ऐसा चाहता है तो वह एक माह की लिखित नोटिस देकर अपनी तरफ से संविदा को समाप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

ii) अनुबंधित कार्य की अवधि की समाप्ति पर ठेकेदार को बिना किसी परिवाद के केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच प्रांगण का परिसर खाली करना होगा।

iii) प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच द्वारा प्रदत किसी भी फनीचर व फिक्चर को हुई क्षति या नुकसान के लिए कैंटीन चालक से उसकी लागत वसूल की जाएगी जिसके लिए प्रतिभूति राशि में आवश्यक कटौती की जा सकती है।

iv) यदि कैंटीन चालक द्वारा संविदा की किसी भी शर्त का अनुपालन नही किया जाता है तो ठेका स्वत: समाप्त हो जाएगा।

v) यदि कैंटीन चालक दिवालीया हो जाता है तो संविदा रद्द मानी जाएगी और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों / प्रतिनिधियों अथवा उत्तरजीवियों का किसी अधिकार के लिए कोई दावा नहीं होगा।

14.निकट रिश्तेदारों की असहभागिता:

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच में खान पान सुविधाओं को प्रदान करने के लिए जिन कर्मचारियों को संलग्न किया जाएगा वे केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के कर्मचारियों के नजदीकी रिश्तेदार न होंगे.

15. वैधानिक दायित्व

क) सफल बोलीदाता / कैंटीन चालक प्रासंगिक कानूनों के तहत कैन्टीन के लिए आवश्यक सभी आवश्यक लाइसेंस या अन्य अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और कानून के अनुसार आवश्यक लाइसेंस प्राप्त न करने के लिए वह सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। उसे केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच को सभी आवश्यक लाइसेंस की प्रमाणित फोटोकॉपी जमा करनी होगी। और किसी भी अन्य कानून, नियम, दिशानिर्देश आदि जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं या जो कि इस समझौते की तारीख के बाद केंद्रीय / राज्य सरकार या नगरपालिका / स्थानीय स्व-सरकारी अधिकारियों द्वारा पेश किए जा सकते हैं की भी अनुपालना करनी होगी।

ख) कैंटीन चालक, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच को सभी भूल- चूक, उल्लंघनों और / या किसी भी नुकसान, क्षति, खर्च के दावे की क्षतिपूर्ति करेगा जो कि विद्यालय को उसकी त्रुटियों व दायित्वों को पूरा न करने के कारण हो सकती हैं। जिसकी भरपाई के लिए केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच प्रतिभूति जमा से वसूली करने के लिए स्वतंत्र होगा। ठेकेदार द्वारा किसी वैधानिक उत्तरदायित्व के उल्लेघंन या भूलचूक के लिए विद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा और उसके लिए कोई परिवाद का भागी नहीं होगा। इस समझौते के दौरान और उसके बाद से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना के मामले में, प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए या किसी अन्य कानून के तहत जिम्मेदार नहीं होगा। नुकसान या मुआवजे के बदले भुगतान के लिए कैंटीन चालक की पूरी जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार के साथ लगे व्यक्ति को ठेकेदार के अपने कर्मचारियों के रूप में माना जाएगा और प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच से कोई विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। किसी भी कानूनी या वित्तीय निहितार्थ तथा मजदूरी, वर्दी, सामान्य अनुशासन और विनम्र व्यवहार के संबंध में ठेकेदार अपने कर्मचारियों के प्रशासन के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे।

ग) कैंटीन चालक रसोई के उपकरण सहित खानपान सेवाओं के लिए अपनी परिसंपत्तियों / वस्तुओं के लिए दुर्घटना, अग्नि तथा अन्य जोखिम के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

घ) सरकार को देय सभी कर / लेवी / फीस शुल्क विभाग / स्थानीय निकाय को कैंटीन चालक द्वारा भुगतान किया जाएगा और ऐसे किसी दावे के लिए केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच भुगतान हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।

16. विवादों का समाधान

निविदा दस्तावेज में ठेकेदार, कैन्टीन संचालक, बोलीदाता, निविदादाता, केटरर इत्यादि शब्द समान अर्थों में प्रयुक्त किए गए हैं. केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच और कैन्टीन संचालक अनुबंध के संदर्भ में आपस में दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों व असहमतियों को सीधे अनौपचारिक बातचीत के द्वारा शांतीपूर्वक ढंग से सुलझाएंगे।

यदि ऐसे अनौपचारिक वार्ता के प्रारंभ से तीस (30) दिनों के बाद, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच और कैन्टीन संचालक सौहार्दपूर्ण रूप से एक अनुबंध विवाद को हल करने में असमर्थ हैं, तो प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच अपने विवेक से किसी व्यक्ति को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर सकते हैं, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर अंतिम व बाध्य होगा।

मध्यस्थता का स्थान वह स्थान होगा जहां से संविदा निर्गत है।

(प्राचार्य)

प्राचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय क्र. 1 / Kendriya Vidyalaya No. 1
नीमच / Neemuch

निर्दिष्टीकरण, नियम और शर्ते

1. बोलीदाता निर्दिष्ट निविदा प्रपत्र में केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच में खानपान-कैन्टीन सेवा प्रदान करने के लिए दरों का उद्धरण करेगा।

(ए) बोलीदाता अनुलग्नक -II में दिखाए गए मेनू के लिए निविदा बोली में "प्रति नग" के आधार पर दरों का उद्धरण करेगा। दरों में उचित सर्विसिंग से जुड़े सभी कार्यों और वस्तुओं, गैस आदि ईंधन सहित सभी कच्चे सामग्रियों की लागत शामिल है, जैसे खाना पकाने व खिलाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले उपयोगी बर्तन कैंटीन चालक द्वारा प्रदान किये जाएगें। समय-समय पर लागू सभी करों को बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

(बी) प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के अनुरोध के अनुसार, मेनू में प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त वस्तुएं प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच द्वारा कैंटीन चालक के परामर्श से तय की जाएंगी।

2. कैंटीन चालक निर्धारित मेनू का पालन करेगा और प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच से निर्देश प्राप्त करेगा जो विद्यार्थियों/स्टाफ की जरूरतों के अनुरूप मेनू को संशोधित कर सकते हैं। लिखित मंजूरी के बिना ठेकेदार द्वारा मेनू में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

3. कैंटीन चालक कैंटीन का किराया हर महीने की ५ तारीख तक अग्रिम जमा करेगा जो वापसी योग्य नहीं होगा. यह किराया मासिक आधार पर होगा जिसमें ग्रीष्मअवकाश, शरद कालीन अवकाश तथा शीतकालीन अवकाश की अवधि भी सम्मिलित है.

4. बिजली शुल्क का भुगतान खपत के अनुसार कैंटीन चालक को करना होगा. इस हेतु कैंटीन चालक को स्वयं के खर्च पर विद्युत सब मीटर लगाना होगा.
कैंटीन चालक द्वारा बिजली का उपयोग खाना पकाने के साथ-साथ पानी उबलने के लिए नहीं किया जा सकेगा।

5. कैंटीन चालक द्वारा स्वंय क्रॉकरी, कटलरी, बर्तन और रसोई उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी और केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच इस उद्देश्य के लिए कोई मद प्रदान नहीं करेगा। ठेकेदार अपने स्वंय के एलपीजी सिलेंडर की व्यवस्था करेगा और एलपीजी का उपयोग अपनी लागत पर करेगा।

कैंटीन चालक काम करने के क्रम में सभी रसोई उपकरणों को लाएगा और उसके रखरखाव और उपकरणों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

6. कैंटीन चालक भोजन बनाने एवं प्रदान करने के दौरान अच्छी गुणवत्ता के उचित बर्तन का उपयोग करेगा।

7. कैंटीन चालक केवल खाद्य वस्तुओं जैसे चाय, बिस्कुट, नमकीन इत्यादि बेचने के लिए आधिकारिक है. स्टैन्डर्ड पॅकिंग वाली ब्रांडेड खाद्य वस्तुओं को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दरों पर बेचने की अनुमति नहीं होगी. रोज बनाई जानी वाली वस्तुओं को वह स्वच्छ स्थान पर ही बनाएगा एवं उन वस्तुओं का मूल्य निविदा तथा विद्यालय कैंटीन समिति की सहमति से तय किया जाएगा.

8. विद्यालय कैंटीन के लिए जगह विद्यालय परिसर में ही प्रदान करेगा।

9. कैंटीन चालक कैंटीन का किराया हर महीने की ५ तारीख तक अग्रिम जमा करेगा जो वापसी योग्य नहीं होगा. यह किराया मासिक आधार पर होगा जिसमें ग्रीष्मअवकाश, शरद कालीन अवकाश तथा शीतकालीन अवकाश की अवधि भी सम्मिलित है.

10. बिजली शुल्क का भुगतान खपत के अनुसार कैंटीन चालक को करना होगा. इस हेतु कैंटीन चालक को स्वयं के खर्च पर विद्युत सब मीटर लगाना होगा.

11. कैंटीन चालक केवल खाद्य वस्तुओं जैसे चाय, बिस्कुट, नमकीन इत्यादि बेचने के लिए आधिकारिक है. स्टैन्डर्ड पॅकिंग वाली ब्रांडेड खाद्य वस्तुओं को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दरों पर बेचने की अनुमति नहीं होगी. रोज बनाई जानी वाली वस्तुओं को वह स्वच्छ स्थान पर ही बनाएगा एवं उन वस्तुओं का मूल्य निविदा तथा विद्यालय कैंटीन समिति की सहमति से तय किया जाएगा.

12. निविदा में दी गई वस्तुओं के अलावा अन्य स्टैन्डर्ड पॅकिंग वाली ब्रांडेड खाद्य वस्तुओं को बेचने के लिए कैंटीन चालक को लिखित अनुमति लेनी होगी.

13. कैन्टीन की वस्तुओं के भंडारण, सुरक्षा, निर्माण, विक्रय की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

14. कैन्टीन के लिए निर्धारित स्थान का तथा परिसर का कैंटीन चालक किसी अन्य कार्य के लिए जैसे स्वयं का रहना एवं उसके द्वारा आधिकारिक किसी व्यक्ति का रहना, इस्तेमाल नहीं कर सकेगा.

15.कैंटीन की सभी व्यवस्थाओं जैसे खानपान एवं बैठने की व्यवस्था का कार्य कैंटीन चालक को स्वयं देखना होगा.

16.कैंटीन का सामान्य समय प्रत्येक विद्यालयी दिवस पर विद्यालय समय से एक घंटा पूर्व तथा विद्यार्थियों की छुट्टी के दो घंटे बाद तक होगा. यह समय विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार तथा प्राचार्य के आदेशानुसार परिवर्तनीय होगा. विद्यालय समय से पूर्व तथा छुट्टी के बाद का समय कैन्टीन की आवश्यक तैयारी तथा साफ सफाई के लिए होगा.

17.कैंटीन चालक को 5000/- रुपये सुरक्षा राशि हेतु जमा करने होंगे जो उसे ठेका अवधि समाप्त होने के एक महीने के अंदर लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के लौटा दिए जाएंगे. कैन्टीन संबंधी निर्देशों का पालन ना करने पर सुरक्षा राशि बिना किसी नोटिस के जब्त भी की जा सकती है ।

18.कैंटीन चालक बाल मजदूरों का प्रयोग नहीं करेगा। कैंटीन का संचालन सभी संबंधित नियमों तथा कानूनों के तहत अधीन होगा।

19.कैंटीन चालक किसी अन्य ठेकेदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कैंटीन परिसर उसके ठेके के अंतर्गत नहीं सौंप सकता है.

20.कैंटीन चालक सामग्री का विक्रय निर्धारित दर सूची के अनुसार करेगा एवं उसे सही जगह पर प्रदर्शित करेगा.

21.कैंटीन चालक स्वयं के बर्तन-क्राकरी एवं फर्नीचर का इस्तेमाल कैंटीन परिसर में करेगा| बर्तन-क्राकरी की नियमित साफ-सफाई जिम्मेदारी कैंटीन चालक की होगी, विद्यालय द्वारा इसके लिए कोई सफाई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाएगी ।

22.खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री उच्च मानक और अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। चावल के दाने छोटे आकार के और बाजार में उपलब्ध प्रीमियम/सर्वोतम गुणवत्ता के होने चाहिए; तेल ब्रांडेड होना चाहिए; सब्जियाँ ताजी होनी चाहिए और दैनिक आधार पर खरीदी जानी चाहिए; आटा पाउडर, मसाला पाउडर - हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर आदि अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए।

23.कैंटीन में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के भंडारण की अनुमति नहीं होगी. विद्यालय परिसर तथा कैन्टीन में खतरनाक या ज्वलनशील या नशीले पदार्थ का भंडारण तथा विक्रय की अनुमति नहीं होगी.

24.विद्यालय परिसर में धूम्रपान, मद्यपान या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन या विक्रय निषिद्ध है. कैंटीन में मांसाहार तथा नॉन वेज युक्त सामग्री का निर्माण, भंडारण तथा विक्रय की अनुमति नहीं होगी.

25.कैंटीन चलाने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए कैंटीन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

26.विद्यालय द्वारा कैन्टीन के लिए प्रदाय स्थान तथा विद्यालय परिसर में अन्य किसी स्थान में किसी भी संरचनात्मक परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

27.विद्यालय कैन्टीन के लिए प्रदाय स्थान तथा विद्यालय परिसर में अन्य किसी स्थान पर ठेकेदार द्वारा जानबूझ कर अथवा भूलवश होने वाली सभी टूट-फूट क्षति या हानि के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा एवं संबंधित क्षति की प्रतिपूर्ति करेगा।

28.कैंटीन कर्मचारियों को नियमित और उचित बाल कटवाने चाहिए, अपने नाखून कटे और साफ रखने चाहिए और अनुबंध की अवधि के दौरान उनमें त्वचा रोग या आहार नाल की बीमारियों का कोई लक्षण नहीं होना चाहिए।

29. कैंटीन चालक इस अनुबंध को उप अनुबंध पर या किसी और के लिए नहीं छोड़ देगा। ठेकेदार उनके द्वारा या उनके कर्मचारियों द्वारा स्थापित फिकचर्स और फिटिंग में होने वाले टूट-फूट या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा और उसे अपनी लागत पर ठीक कराना होगा।

30. कैंटीन चालक विद्यालय समिति / अधिकारियों / प्रतिनिधियों द्वारा बुलायी गयी नियतकालिक बैठक में भाग लेगा और स्वीकृत सुझावों, यदि कोई हो, को लागू करेगा।

31. कैंटीन चालक कैंटीन परिसर की साफ़ सफाई का ध्यान रखेगा एवं वह किसी बाहर के ग्राहकों को परिसर में सामान नहीं बेचेगा. कैन्टीन से उत्पन्न कचरे के संग्रहण के लिए कैंटीन चालक स्वयं का डस्टबिन प्रयोग करेगा. कैन्टीन से उत्पन्न होने वाले कचरे के प्रत्येक दिन निपटान की जिम्मेदारी कैंटीन चालक की होगी.

32. कैंटीन चालक अपने स्वयं के खर्च पर अच्छी गुणवत्ता का आटा, चावल, किराना, दालें, खाद्य तेल, सब्जियों, फल और अन्य वस्तुओं की खरीद करेगा। कैंटीन चालक केवल प्रतिष्ठित ब्रांडों की मानक वस्तुओं का उपयोग करेगा। इन वस्तुओं का केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच या इसकी अधिकृत समिति द्वारा सूचना दिये बिना किसी भी समय सत्यापन किया जा सकता है, और इसकी सिफारिशें अंतिम होंगी और ठेकेदार द्वारा स्वीकार्य होंगी।

कैंटीन चालक को भोजन / मेनू तैयार करने के लिए अच्छी गुणवत्ता / एगमार्क / आईएसआई मार्क खाद्य तेल, खाद्य वस्तु, दूध और दूध उत्पाद, मसालों, अनाज, दलहन और मिनरल वाटर आदि की गुणवत्ता वाले सामग्रियों का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। केवल प्रतिष्ठित ब्रांडेड वस्तुओं के ही विक्रय की अनुमति होगी.

खाद्य वस्तुओं को उनकी बेस्ट बिफोर/ एक्सपायरी डेट के पश्चात प्रयोग में लाने अथवा बेचने की अनुमति नहीं होगी.

33. कैटरिंग स्टाफ का व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कैन्टीन स्टाफ को अविलंब ठेकेदार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

34. खाना पकाने के दौरान रसोइयों को टोपी पहनना आवश्यक होगा। खाना पकाने / सेवा के लिए नियोजित कर्मचारियों की सफाई और स्वच्छता असाधारण स्तर का होना चाहिए। कैंटीन चालक द्वारा किसी भी दूषित रोग से पीडित कर्मचारी को तत्काल हटाया जाएगा।

35. कैंटीन चालक खाना पकाने के लिए केवल गैस चूल्हों एवं निर्धारित गैस सिलिंडर का उपयोग करेगा। किसी भी परिस्थिति में, ठेकेदार को केरोसिन तेल, लकड़ी या किसी अन्य ईंधन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी जो धुंऐ और खराब गंध का उत्सर्जन करता है। विद्युत चूल्हों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है।

36. बोलीदाता केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच द्वारा प्रदान की गई जगह पर ही आवश्यक खाद्य वस्तुओं का भंडारण करेगा और खाना तैयार करेगा.

37. कैंटीन चालक द्वारा ग्राहक के मांगे जाने पर सामग्री का बिल दिया जाएगा।

38. कैंटीन चालक प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच द्वारा नियुक्त समिति के सदस्यों द्वारा भोजन की गुणवत्ता और इसकी तैयारी की प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए तैयार रहेगा।

39. कैंटीन चालक केंद्रीय / राज्य सरकार के सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगा और अपने कर्मचारियों के संबंध में पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

40 कैन्टीन सर्विसेज के संचालक केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के अधिकारियों के निर्देश के अनुसार खाद्य सामग्री पकाना और खिलाना, कैन्टीन क्षेत्र और परिवेश की सफाई, बर्तन का रखरखाव और उचित सफाई, खाद्य पदार्थों को स्वच्छ परिस्थितियों में संग्रहीत करना इत्यादि सेवाएं प्रदान करेंगे।

41. साफ- सफाई व्यवस्था: खाना बनाने और परोसने के क्षेत्र की सफाई के लिए कैंटीन चालक द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों को नियोजित करना होगा। ठेकेदार द्वारा सफाई के लिए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का प्रयोग अपनी लागत पर किया जाएगा।

42. बर्तन को गर्म पानी और उचित डिटर्जेंट का उपयोग करके धोया जाये। फर्श, दीवारों और छत की साफ-सफाई को बनाए रखना होगा। फर्नीचर को पूरी तरह साफ रखना होगा

43. कैंटीन चालक. द्वारा खाद्य सामग्री को स्वच्छता के साथ तैयार किया जाए एवं स्वच्छ परिस्थितियों में रखा जाना चाहिए।

44. कैंटीन चालक द्वारा निविदा की किसी भी शर्त के उल्लंघन और उसके कारण केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई ठेकेदार की सुरक्षा जमा राशि से अथवा अलग से राशि वसूल कर किया जा सकता है।

45. केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के अधिकारी द्वारा नामित टीम आवश्यकता अनुसार औचक निरीक्षण कर सकती है। खाने की गुणवत्ता / मात्रा में किसी भी प्रकार की कमी पाने जाने पर बोलीदाता संविदा की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा और कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।.

46. विद्यार्थियों/विद्यालय स्टाफ को प्रस्तुत करने के लिए तैयार खाद्य सामग्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के अधिकारियों के अनुमोदन के अधीन होगी और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

47. कैंटीन चालक तथा उनके द्वारा नियोजित कर्मचारी सभी विद्यार्थियों/विद्यालय स्टाफ के प्रति व्यवहार में विनम्र रहेंगे ।

48. कैंटीन चालक पर्याप्त मात्रा में रसोइयों एवं अन्य सहायक स्टाफ को तैनात करेगा जिससे किसी भी प्रकार की शिकायत न प्राप्त हो।

49. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच सबसे कम दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अत्यावश्यकता और आवश्यकता के आधार पर एक से अधिक बोलीदाता को काम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, कैंटीन चालक सेवा का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई दावा नहीं करेगा, जिनके लिए केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच में सेवाएं दी जाएंगी।

50. अगर किसी भी कोर्ट / नगरपालिका या सरकार द्वारा ठेकेदार के खिलाफ खाद्य व्यभिचार अधिनियम, 1952 के प्रावधान या ऐसी किसी भी कानून / नियम या प्रावधानों के अंतर्गत कोई कार्यवाही शुरू की जाती है तो कैंटीन चालक इसके लिए जिम्मेदार होगा।

51. कैंटीन चालक को कैन्टीन संचालन तथा खान-पान सेवाओं के बारे में केन्द्रीय विद्यालय संगठन या सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा.

52. नियमों के उल्लंघन पर बिना किसी नोटिस के कैन्टीन की निविदा को तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा एवं इस बारे में कैंटीन चालक को विद्यालय प्राचार्य के निर्णय मान्य होंगे।

निविदा **दस्तावेजों** की चेक लिस्ट

क्र. सं.	विवरण (दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में / प्रमाण पत्र आदि)	हां / नहीं लिखें
1	आवश्यक बयाना जमा (ईएमडी) की राशि (डीडी/चेक के रूप में) 5000 / -(वापसी योग्य)	
2	फर्म के पंजीकरण या स्थापना प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि	
3	फर्म के टिन नंबर/पैन नंबर की कॉपी	
4	जीएसटी के लिए फर्म के पंजीकरण की कॉपी	
5	बैंक पास बुक / स्टेटमेंट की प्रतिलिपि जिसमें निविदाकर्ता के बैंक का नाम और पता और उसका खाता नंबर निर्दिष्ट किया गया है	
6	राज्य सरकार / केंद्र सरकार से वैध खाद्य सुरक्षा और मानक लाइसेंस की प्रति	
7	सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य दस्तावेजी प्रमाण की प्रतिलिपि	

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म की मुहर के साथ

अनुलग्नक- II

कैन्टीन सर्विसेज की निविदा के लिए प्रारूप

सेवा में
प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच
विषय: केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच में कैन्टीन सर्विसेज प्रदान करने के लिए निविदा।
महोदय,
आपके निविदा सूचना दिनांक **01.02.2024** के संदर्भ में, मैं मांगे गये अपेक्षित विवरण / सूचना के अनुसार एतदद्वारा अपनी फर्म और बोली के बारे में अन्य विवरण निम्न प्रस्तुत करता हूं;
निविदा दरों का विवरण:

S. No.	Item	Quantity with weight etc.	Tender Price Per piece or serving
1	Hot Tea	One cup (100 ml)	
2	Hot Coffee	One cup (100 ml)	
3	Samosa/Kachori/Aloo Bada/Khaman/Similar item	Per piece	
4	Poha	50 gm (With Namkeen & Onion)	
5	Bread Pakora	Per piece	
6	Mix Pakora	50 gm.	
7	Samber Vada	100gm. Single piece with samber	
8	Idli.	100gm. Single piece with samber	
9	Aloo sabji with 02 puri	Per Plate	
10	Rent of Canteen	Minimun Base Rent Rs.1000/-Monthly	

* उक्त सभी दरें पूर्ण रुपये में

- मैं एतदद्वारा यह वचन देता हूं कि यदि हमारी बोली स्वीकार की जाती है तो मैं निविदा की सभी शर्तों का पालन करते हुए कैन्टीन सेवाएं प्रदान करूंगा.
- यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी झूठ / गलत है, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के पास मुझ पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा ।

दिनांक:

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म की मुहर के साथ